भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1169

16 दिसम्बर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: शून्य जुताई प्रक्रिया खेती

1169 श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शून्य जुताई प्रक्रिया क्या होती है और उपज एवं कृषि भूमि के लिए यह किस प्रकार फायदेमंद है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में कितने क्षेत्र में शून्य जुताई प्रक्रिया के माध्यम से खेती की जा रही है, तत्संबंधी फसल-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा शून्य जुताई प्रक्रिया के प्रचलन के लिए कोई योजना चलाई जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): जीरो टिलेज एक सिंगल-पास बीज बुवाई प्रक्रिया है जिसमें पिछली फसल की कटाई के बाद जुताई किए बिना जमीन में बीज और उर्वरक डाले जाते हैं। जीरो टिलेज के संभावित लाभों में शीघ्र बुवाई, मिट्टी को ढकने वाली पिछली फसलों के मल्च कवर के कारण वायु और जल से मृदा का कम क्षरण, कम मृदा संघनन, अधिक उपजाऊ और अनुकूल मृदा, उच्च इनपुट दक्षता, कम ईंधन और श्रम लागत एवं उच्च उपज शामिल हैं।

धान की फसल की कटाई के बाद गेहूं की बुवाई के लिए गंगा के मैदानों में चावल-गेहूं फसलन प्रणाली में मुख्य रूप से जीरो टिलेज प्रणाली अपनाई जाती है। कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय क्षेत्र की फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत जीरो टिलेज मशीनों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इन योजनाओं के तहत किसानों को व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर मशीनों की खरीद के लिए मशीनरी की लागत के 40-50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एसएमएएम के तहत, एक उद्यमी के रूप मे ग्रामीण युवाओं और किसानों, किसानों की सहकारी समितियों, पंजीकृत किसान समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफ़पीओ) और पंचायतों को कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) और उच्च मूल्य वाली कृषि मशीनों के हाई-टेक हब की स्थापना हेतु परियोजना लागत के 40% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सीएचसी की परियोजना लागत प्रति सीएचसी 60 लाख रुपये तक हो सकती है और हाई-टेक हब की प्रत्येक परियोजना के लिए यह 250 लाख रुपये है। सहकारी समितियों, पंजीकृत किसान समितियों, एफपीओ और पंचायतों को कृषि यंत्र और उपकरण के कस्टम हायरिंग के लिए ग्रामीण स्तर के फार्म मशीनरी बैंक (एफएमबी) की स्थापना हेतु 10 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजना के लिए परियोजना लागत के 80% की दर से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। जबकि, फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 80% सब्सिडी की दर से एसएमएएम के साथ परियोजना लागत 15 लाख रुपये तक हो सकती है।

*****